


न्यायालय
श्रीमती रेणु कुमारी 15.10.17 on line Entry


न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, धनबाद

एम्प्री 0 पी 0 केश नं० 382/2017 धारा 107 द.प्र.स.

दिनांक	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पत्र पर की गई कारवाई
15.4.17	काली-याण मद्दो बनाम लक्ष नारायण मद्दो हीरपुर थाना अप्राथमिकी सं० 02/17	15.4.17 6/4/17
17/5/17	प्राप्त हुआ अवलोकन से स्पष्ट होता है कि जाँच पदाधिकारी	17/5/17
26/5/17	स० अ०नि०/अ०नि० हीरपुर ने जाँच कर अपना	26/5/17
7/6/17	प्रतिवेदन थाना प्रभारी हीरपुर थाना एवं	7/6/17
20/6/17	अ० निरी० लोपचाची ने अग्रपरित किया	20/6/17
6.7.17	हे निरामे उल्लेख है कि उभय पक्षों की बीच लक्ष को	6.7.17
19/8/17	द्वारा पक्षों को	19/8/17
3/8/17	लेकर	3/8/17
22-8-17	तनाव है। उभय पक्ष कानून को अपने हाथों में लेकर स्थानीय परिशांति	22-8-17
6/9/17	भंग करने पर तुले हुए तथा एक दूसरे के जान-माल पर खतरा पहुँचा	6/9/17
10/9/17	सकते हैं। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि पक्षों के बीच गंभीर तनाव	10/9/17
25/9/17	व्याप्त है तथा इनके कार्या से कभी भी लोक परिशांति भंग हो सकती	25/9/17
6/10/17	है। पुलिस प्रतिवेदन से संतुष्ट होकर मैं उभय पक्षों के विरुद्ध धारा 107	6/10/17
20/10/17	द०प्र०सं० की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए उभय पक्षों को निर्देश देता हूँ	20/10/17
3/11/17	कि वे मेरे न्यायालय में दिनांक 23.3.17 को 10.30 बजे	3/11/17
17/11/17	पूर्वाहन उपस्थित होकर अपना कारण पृच्छा दाखिल करें कि क्यों नहीं	17/11/17
30/11/17	लोक परिशांति बनाये रखने के लिए आपके र 5000.00 रु० का दो	30/11/17
14-12-17	समप्रतिभृतियों के साथ बन्धपत्र लिया जाय।	14-12-17
29/12/17		29/12/17
15/01/18		15/01/18
1/2/18		1/2/18
10/2/18		10/2/18
लमाए		लमाए

लेखापित एवं संशोधित


अनुमंडल दण्डाधिकारी
धनबाद


अनुमंडल दण्डाधिकारी
धनबाद